प्रेस नोट दिनांक 04.02.2026 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता – थाना नवाबगंज पुलिस व स्पेशल टीम ने संगठित चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 07 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹2.25 लाख का चोरी का सामान व घटना में प्रयुक्त कार बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस व स्पेशल टीम को बड़ी सफलता, 07 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से 11 अदद बैटरी, 06 अदद इन्वर्टर, 01 अदद स्टेपलाईजर (अनुमानित मूल्य ₹2,25,000/-), घटना में प्रयुक्त अल्टो कार व चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद
थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कुसुवापुर बाजार छाछामऊ स्थित टायनी शाखा में हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे-
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा संगठित चोरी गिरोह से जुड़े होने का खुलासा करते हुए जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों तथा अन्य जनपदों में घटित अनेक चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई-
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त बृजेश कुमार सरोज उर्फ पिन्टू सरोज व अन्तर्जनपदीय अभियुक्त साहिल कुमार सरोज उर्फ गोलू पर जनपद प्रयागराज, जनपद रायबरेली, जनपद प्रतापगढ़ में चोरी, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-
अभियुक्त मोहित सरोज पर जनपद प्रतापगढ़ में चोरी, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

प्रतापगढ़।
वादी निवासी कुसुवापुर बाजार थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ द्वारा बताया गया कि वह थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कुसुवापुर बाजार छाछामऊ में टायनी शाखा संचालित करता है। दिनांक 27.01.2026 की सायं दुकान बंद कर घर चले जाने के पश्चात् दिनांक 28.01.2026 को प्रातः दुकान खोलने पर शटर खुला मिला तथा अज्ञात चोरों द्वारा इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी कैमरा (चिप सहित) एवं गुलक में रखी नकद धनराशि चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0 10/2026 धारा 305, 331(3) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृ्जनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज के उ0नि0 मिथिलेश राजपुत मय हमराह उ0नि0 गुलाब सिंह, उ0नि0 शिशिर सिंह व स्पेशल टीम प्रतापगढ़ के हे0का0 महेश

कुमार सिंह, हे0का0 कमलेश सिंह यादव, का0 विरेन्द्र, का0 सुनिल यादव द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 305, 331(3) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 07 अभियुक्तों को 11 अदद बैट्री, 06 अदद इन्वर्टर, 01 अदद स्टेपलाईजर एवं घटना में प्रयुक्त अल्टो कार, चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण के साथ थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत भिन्न- भिन्न स्थान- गोलहन का पुरवा अस्थान के दाहिने नहर पटरी के पास पुलिया) 05 अभियुक्त व कुशुवापुर जनवामऊ रोड पर पुराने स्कूल के खण्डहर के पास(02 अभियुक्त) से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 11 अदद बैट्री, 06 अदद इन्वर्टर, 01 अदद स्टेपलाईजर(अनुमानित मूल्य लगभग ₹2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) व घटना में प्रयुक्त अल्टो कार 800 एवं चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण 01 कटर लोहा का, 04 छोटे बड़े पेचकस, 02 लोहे की राड, 02 रेती लोहे का, 01 पाना बरामद किया गया। जिसके संबंध में मु0अ0सं0 10/2026 धारा 305, 331(3) बीएनएस में धारा 317(2),317(4),3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग रात में इसी अल्टो कार से निकलते है और मौका पाकर दुकानो से शटर व ताला का तोड़कर चोरियाँ कर लेते है। हम लोग कुल 07 साथी हैं। सामान्य आशय से दिन में घुम फिरकर दुकान देख लेते है तथा रात में चोरिया करते है।

दिनांक 27/28.01.2026 की रात में ग्राम छाछामऊ कुशुवापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ में टाईनी शाखा में 01 इन्वर्टर व 01 बैट्री तथा दिनांक 01/02.02.2026 की रात को अन्सारगंज ग्राम छाछामऊ कुशुवापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ में अन्सारी इलेक्ट्रीकल एवं दीपक स्टेशनरी व दो अन्य दूकानो से 02 बैट्री व 01 स्टेप लाईजर चोरिया की है। वाजिदपुर हाइवे की किनारे थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से दूध की डेयरी से 02 बैट्री व 01 इन्वर्टर चोरी की है। इसके आलावा हमने ग्राम सरियांवा, थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ में डाक्टर की दुकान से 01 इन्वर्टर व 01 बैट्री, की चोरी की है। बरई का पुरवा मनगढ़ थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से 02 बैट्री एवं 01 इन्वर्टर की चोरी की है। लालगोपालगंज हाईवे के बगल प्रयागराज के घर से 01 बैट्री है तथा अन्य 02 बैट्री एवं 02 इन्वर्टर चोरी की है।

हम लोगो काफी समय से मिलकर रात में अल्टो कार से बैट्री एवं इन्वर्टर व स्टेपलाजर चोरिया करते है तथा बेच देते है। हमने काफी बैट्रियां बेची है, ये उपरोक्त समान एक महिने के अन्दर अलग अलग जगह से चोरी की है,। अभियुक्तों ने बताया कि इन बैट्रियो के अलावा चोरी की गयी बैट्री एवं इनवर्टर को कुशुवापुर जनवामऊ रोड पर पुराने स्कूल के खण्डहर में रखी है, जहां पर हमारे कुछ साथी मौजूद है, आज हम बैट्रियो एवं इन्वर्टर को निकालकर बेचने के लिए ले जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. राजमणि सरोज उर्फ डब्लू पुत्र शत्रुघ्न सरोज निवासी ग्राम पूरे कालू राम का पुरवा बिसहिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।
02. बृजेश कुमार उर्फ पिन्टू सरोज पुत्र धर्मपाल सरोज निवासी ग्राम कबीरपुर पूरे मातादीन का पुरवा बिसहिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।
03. साहिल उर्फ गोलू सरोज पुत्र राजाराम सरोज निवासी ग्राम छोटकी अख्तियारी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।
04. मोहित सरोज उर्फ भल्ला पुत्र राजेश सरोज निवासी ग्राम निवासी ग्राम छोटकी अख्तियारी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।
05. सोनू सरोज पुत्र जेठ सरोज निवासी ग्राम निवासी ग्राम छोटकी अख्तियारी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।
06. आकाश सरोज उर्फ बाबा पुत्र दिनई सरोज उर्फ छोटेलाल निवासी ग्राम कालूराम का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।
07. कृष्णा पटेल उर्फ ननकू पुत्र वासुदेव पटेल उर्फ बाबुजी निवासी ग्राम कालूराम का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी-

01. 11 अदद बैट्री बरामद।
02. 06 अदद इन्वर्टर बरामद।
03. 01 अदद स्टेपलाईजर बरामद।
04. घटना में प्रयुक्त अल्टो कार 800 बरामद।
05. चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण 01 कटर लोहा का, 04 छोटे बड़े पेचकस, 02 लोहे की राड, 02 रेती लोहे का, 01 पाना बरामद।

आपराधित इतिहास-

01- बृजेश कुमार सरोज उर्फ पिन्टू सरोज पुत्र धर्मपाल निवासी मातादीन का पुरवा (विसहिया ग्रामसभा) थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ का आपराधित इतिहास-
1. मु0अ0सं0- 250 / 2022 धारा- 380/411/457 भादवि थाना नवाबगंज, प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0- 251/ 2022 धारा - 411 भादवि थाना नवाबगंज, प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0- 222 / 2023 धारा- 411 भादवि थाना कुण्डा, प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0- 357 / 2023 धारा- 380/411/457 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली।
5. मु0अ0सं0- 301/ 2025 धारा- 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली।
6. मु0अ0सं0- 314 / 2025 धारा- 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली।
7. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 305, 331(3) बीएनएस थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

02- साहिल कुमार सरोज उर्फ गोलू पुत्र राजाराम सरोज नि0 छोटी अख्तियारी थाना हथिगंवा जनपद प्रतापगढ उम्र 20 वर्ष का आपराधित इतिहास-

1. मु0अ0स0 494/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ।
2. मु0अ0स0 63/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0स0 164/25 धारा 112(2)/3(5)/305/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस थाना सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. मु0अ0स0 318/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना सग्रामगढ, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 305, 331(3) बीएनएस थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

03- मोहित सरोज पुत्र राजेन्द्र सरोज उर्फ भल्ला नि0 छोटी अख्तियारी थाना हथिगंवा जनपद प्रतापगढ उम्र 21 वर्ष का आपराधित इतिहास-

1. मु0अ0स0 216/2022 धारा 323/341/342/386/411/504 भादवि थाना हथिगंवा, जनपद प्रतापगढ।
2. मु0अ0स0 256/2022 धारा 399/401/411 भादवि थाना हथिगंवा, जनपद प्रतापगढ।
3. मु0अ0स0 229/2023 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना हथिगंवा, जनपद प्रतापगढ।
4. मु0अ0स0 494/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 318/2022 धारा380,411, 457 भादवि थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 305, 331(3) बीएनएस थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

04- अरुण उर्फ अरुन पुत्र राजाराम सरोज नि0 छोटी अख्तियारी थाना हथिगंवा जनपद प्रतापगढ उम्र 26 वर्ष का आपराधित इतिहास-

1. मु0अ0स0 119/2025 धारा 110/115(2)/351(3)/352 भादवि थाना हथिगंवा, जनपद प्रतापगढ।
2. मु0अ0सं0 10/2026 धारा 305, 331(3) बीएनएस थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना नवाबगंज-

उ0नि0 मिथिलेश राजपुत मय हमराह उ0नि0 गुलाब सिंह, उ0नि0 शिशिर सिंह।

स्पेशल टीम प्रतापगढ़-

हे0का0 महेश कुमार सिंह, हे0का0 कमलेश सिंह यादव, का0 विरेन्द्र, का0 सुनिल यादव।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा दुष्कर्म, के अभियोग से संबंधित 10000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त विवेक वर्मा को किया गया गिरफ्तार -

थाना पट्टी पुलिस द्वारा ईनामिया अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत भरोखन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह मय हमराह का0 पंकज चौहान, का0 अभिषेक यादव, का0 अभिनव नारायन सिंह, का0 जितेन्द्र चौहान व चालक हे0का0 राजेश सिंह द्वारा, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 323/506/376(2)n/315 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 10000/- रुपये का ईनामिया 01 वांछित अभियुक्त विवेक वर्मा पुत्र सुखई वर्मा निवासी ग्राम भरोखन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत भरोखन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

ईनामिया गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. विवेक वर्मा पुत्र सुखई वर्मा निवासी ग्राम भरोखन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

ईनामिया अभियुक्त विवेक वर्मा पुत्र सुखई वर्मा निवासी ग्राम भरोखन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 265/2021, धारा 363/366/376/506 आईपीसी व 5(L)/7 पॉक्सो एक्ट, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 186/2025, धारा 174-A आईपीसी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 391/23 धारा 323/506/376 (2)n/315 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक आनन्द पाल सिंह मय हमराह का0 पंकज चौहान, का0 अभिषेक यादव, का0 अभिनव नारायन सिंह, का0 जितेन्द्र चौहान व चालक हे0का0 राजेश सिंह थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त धीरज वर्मा को गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़

वादिनी निवासी ग्राम देउम पूरब, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़,की पुत्री उम्र करीब 19 वर्ष दिनांक 27.01.2026 को रात्रि बिना बताए घर से लापता हो गई थी। वादिनी को पूर्ण विश्वास था कि उक्त पुत्री को धीरज वर्मा पुत्र विनोद वर्मा निवासी ग्राम देउम पूरब, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। इसं संबंध में मु0अ0सं0 014/2026 धारा 87 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृ्ृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष

मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 इन्देश कुमार मय हमराह का योगेश कुमार व का0 दिनेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 014/2026 धारा 87 बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 351(3) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त धीरज वर्मा पुत्र विनोद कुमार वर्मा निवासी ग्राम देऊम पूरब थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत रत्ना सिंह गेट घुइसरनाथ धाम के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. धीरज वर्मा पुत्र विनोद कुमार वर्मा निवासी ग्राम देऊम पूरब थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 इन्देश कुमार मय हमराह का योगेश कुमार व का0 दिनेश कुमार थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अवधेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़
दिनांक 23.10.2025 को वादी निवासी ग्राम इदिलपुर, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के चाचा को पड़ोसी अवधेश तिवारी व नन्दलाल तिवारी द्वारा रास्ते में रोककर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डों से जान से मारने की नीयत से मारपीट की गई, साथ ही अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 403/25 धारा 110/126 (2)/117(2)/115(2)/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह कां0 विशाल यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 403/25 धारा 110/126 (2)/117(2)/115(2)/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त अवधेश तिवारी पुत्र नन्दलाल तिवारी नि० ग्राम इदिलपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत खालसा सादात के पास घुइसरनाथ रोड स्थित टैक्सी स्टैण्ड के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अवधेश तिवारी पुत्र नन्दलाल तिवारी नि० ग्राम इदिलपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह कां0 विशाल यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।